कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
पत्रांकः 156/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गौ0)/371. दिनांकः अगस्त 8 2017.

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
जनपद –गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स एलीगेन्ट आई0टी0 सोल्यूशन्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0–06, नॉलेज पार्क–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2017/33155/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/7183/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से मानचित्र संलग्न कर प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा श्री शेषनाथ यादव से मानचित्रों का परीक्षण कराया गया तथा उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 03–08–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरूण कुमार सिंह को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05–08–2017 उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र श्री अमन शर्मा को उपलब्ध तथा उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05–08–2017 मय पत्रावली सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया–80,961.18 वर्ग मी0 है।

2–भूतल कवर्ड एरिया–1105.17 वर्ग मी0।

क0स0	नाम ब्लाक/भवन	संख्या	तलो की संख्या	प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई	ऊॅचाई मीटर में
1	टाइप–ए ब्लाक आई0टी 1से 4 व 8 से 11	08	भूतल/स्टिल्ट+4 प्रत्येक	1113.70 प्रत्येक	02 अदद–1.5 मीटर प्रत्येक	14.70
2	आईटी ब्लाक–5 व 7	02	भूतल+10 प्रत्येक	1120.049 प्रत्येक	03 अदद–1.5 मीटर प्रत्येक	36.75
3	आवासीय ब्लाक–6	01	भूतल+5	1210.070	03 अदद–1.5 मीटर	15.45
4	हाउसिंग टाईप–ए0	01	भूतल+1	0624.927		6.3

बेसमेन्ट एरिया–32890.87 वर्ग मी0।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2016 के मिक्स आकूपेन्सी (आवासीय/एसेम्बली एवं कार्यालय) भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ग–ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 24 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है। तथा दूसरी तरफ भी 24 मी0 रोड है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे 02 प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई 06.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–136.80 मी0। बी0–पृष्ठ भाग–12.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.00 मी0। डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार है, जिनको अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु भवन के चारो ओर–06–06 मी0 मोटरेबुल हार्ड मार्ग उपलब्ध रखा जाना अनिवार्य होगा। जो सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी।

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन तालिकानुसार प्रस्तावित है, तथा समस्त स्टेयरकेस एनक्लोजर सहित फायर चैक डोर एवं अन्य ओपनिंग 02 घण्टे तापरोधी क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी स्टेयर नैचुरली वैन्टीलेटिड रखी जाये एवं फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफ्यूज एरियाः– प्रश्नगत भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु बालकनी मानको के अनुसार प्राविधानित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाये प्राविधानित है।

1–होजरील/डाउनकमरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2–भूमिगत टैंकः– 02 अदद भूमिगत टैंक 2,00,000 दो लाख ली0, क्षमता के नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित कराया प्राविधानित है।

3–पम्पस– प्रत्येक अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित मेन पम्प, डीजल चालित पम्प 2850 एल0पीएम0 क्षमता, एवं 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

4–टेरिस टैंकः– प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 हजार ली0 एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5–टेरिस पम्पः– प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

6–वेटराइजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

7–यार्ड हाइड्रेण्टसः– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाइन यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का एन0बी0सी0 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– आईटी टाइप–ए के अतिरिक्त शेष भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम सिस्टमः– आईटी टाइप–ए प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

10–मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टमः– प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम की व्यवस्था एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

13–प्रेशराईजेशन सिस्टमः– प्रश्नगत भवन के स्टेयरकेस को नैचुरली वैन्टीलेटिड रखा जाना अनिवार्य है।

14–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–एग्जिट साईनेजः– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त एग्जिट साईनेज स्थापित कराये जाने अनिवार्य होगे।

13–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

14–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एलीगेन्ट आई0टी0 सोल्यूशन्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0–06, सेक्टर नॉलेज पार्क–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आवासीय/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकःअनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपलनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपलनार्थ।

4–मैसर्स एलीगेन्ट आई0टी0 सोल्यूशन्स प्रा0लि0, द्वारा प्लाट न0–06,सेक्टर नॉलेज पार्क–05, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।